राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/ 9954 दिनांकः 03.10.2026

आदेश

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 हेतु कार्यक्रम की घोषणा दिनांक 03.10.2026 को की जा चुकी है। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है।

आदर्श आचरण संहिता प्रभाव में रहने की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा स्पष्टीकरण/शिथिलन से संबंधित प्रकरण सीधे तौर पर आयोग को प्रेषित नहीं किये जावेंगे।

इस संबंध में आवश्यकता की स्थिति में आदर्श आचरण संहिता में स्पष्टीकरण/शिथिलन बाबत् प्रकरण संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव के स्तर से अनुमोदन उपरान्त ही आयोग को भिजवाये जावें। अनुरोध है कि प्रकरणों का परीक्षण, आयोग द्वारा समय–समय पर आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार कर लिया जावे तथा शिथिलन/अनुमति दिए जाने योग्य प्रकरण ही आयोग को प्रेषित किए जाए। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि अपनी मूल प्रत्रावली आयोग को प्रेषित करते समय संदर्भित किये जाने वाले प्रकरण स्वयं की स्पष्ट टिप्पणी के साथ प्रेषित किये जावेंगे।

संबंधित विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण न्यूनतम 07 दिवस (एक सप्ताह) पूर्व आयोग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

3/10/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/ 9955–60 दिनांकः 03.10.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान सरकार।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर), राजस्थान।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उप सचिव